Before The National Green Tribunal

Principal. Bench, New Delhi

O.A. No.-1096/2024

Annexture -

S.No.	Date	Particulars	Page
1.	07-05-2025	Affidavit	1
2.	07-05-2025	Application in English	2 - 4
3.	07-05-2025	Application in Hindi	5 - 8
4.	7-2-2025	Abhishek Pandey-Vice Chairman Copy of the letter sent to Meerut Development Authority	9
5.	28-2-2025	Abhishek Pandey - VC of the letter sent to M.D.A	10
6.	18-3-2025	Abhishek Pandey - Copy of letter sent to V.C-M.D.A	11

Date : 07.05.2025

Applicant
Chandra Shekhar Gupta
103, Gali No.3 Sai Puram,
Delhi RoadMeerut-250002
Police Station – Bhram Puri
Mail ID : gupta9566@gmail.com
Mob. No. 7906792648

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

(U/s 26 of the National Green Tribunal Act 2010)

O.A. No. 1096/2024

In the matter of :

Chandra Shekhar Gupta ....Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh ....Respondent

Affidavit

I Chander Shekhar Gupta S/o Late Shrikishan Gupta R/o 103, Gali No. 3, Sai Puram, Delhi Road, Meerut (U.P.) do hereby solemnly verify and declare as under:-

That the content of the accompanying application are true and to the best of my knowledge and belief.

That the annexure are true copy of its original.

NOTARY PUBLIC AKHILESH KUMAR Advocate Reg. No-8547 Distt. Meerut GOVT. OF INDIA

C.S. Gupta
Deponent

Verification:-

Verified at Meerut on ______________ that the affidavit are true and correct to the best of our knowledge and belief and nothing has been concealed there from nor any part of its is false.

C.S. Gupta
Deponent

Dated: 7-5-2025

ATTESTED 7/5/25
AKHILESH KUMA
NOTARY MEERUT
07/5/25

Before The National Green Tribunal

Principal. Bench, New Delhi

O.A. No.-1096/2024

In The Mateer of :-

Chandra Shekhar Gupta **Applicant**

Verses

State of Uttar Pradesh & others **Respondent**

Respected Judge sir

It Jagannathpuri Colony, Transport Nagar behind Bahadur Motor, map number-96 approved by Meerut Development Authority. The public park of Jagannathpuri Colony is 3000 square meters. There is a 30 feet wide road around the public park.

The illegal construction made by the following persons by encroaching the public park in Jagannathpuri Colony has been demolished by the Meerut Development Authority."

1st	Ajay Sehgal alias Sonu Sehgal S/o Late Nand Kishore Sehgal	R/o Gali No.-9, Saipuram, Delhi Road, Meerut U.P.
2nd	Renu Gupta W/o Shiv Kumar Gupta	R/o Gali No.-3, Saipuram, Delhi Road, Meerut U.P.
3rd	Rahul Chhawda and Varun Chawda son of Laxman Das Chhawda	R/0-39/3-B, Umesh Vihar Colony, T.P. Nagar Meerut - U.P.

- Magantpuram Colony, Block-D, Delhi Road of Gopal Gaushala, Meerut-U.P., Meerut Development Authority has approved map number-146, dated 2-5-1989.

Public Park located at Maganthpuram Colony, Block - D, Behind Gopal Gaushala has size of 75 x 110 sq. ft.There is a 24 square feet wide ditch all around the public park.

In the order dated 29th January 2025, the Tribunal had directed the M.D.A to conduct a physical inspection of the mark of the applicant.

The applicant sent registered letters dated 7-2-2025 and 23-2-2025 to Abhishek Pandey, Vice President, Meerut Development Authority, requesting him to conduct a site inspection of the sacred park.

On 17-3-2025, the applicant was made to do a site inspection of the public park. The applicant saw that the public park and the road around the public park have been plotting. The applicant was not even allowed to plotting saplings at that place. J.E - MDA

Abhishek Pandey, Vice Chairman, Meerut Development Authority, by giving affidavit said that he should join the daily routine and then photo of other public park is there in the daily routine.

On 18-3-2025, the applicant Abhishek Pandey, Vice President, Meerut Development Authority, through registered post, informed that you are deceiving the customers and their agents by taking money in the vendor.
The letter sent by the applicant to V.C.-M.D.A on 18-3-2025 was received on 19-3-2025 and then J.E.M.D.A called again to inspect Public Park once again. The applicant was asked how the public park and the road around the park was built in two days. The applicant refused to inspect the park again.

When the applicant refused to undergo site inspection again, the police were sent to his factory at 10 pm and were intimidated. As soon as the applicant complained on D.G.P-UP CUG number, the policemen ran away from the factory gate. A complaint was also made from S.S.P. Meerut. Abhishek Pandey - Vice President, Meerut Development Authority and his officers want to intimidate the applicant and make him write that there is a public park behind the Magantpuram Colony, Block-D Gaupal Gaushala and a road around the park. The builder and the VC-MDA are involved in this conspiracy.

Conclusion

Abhishek Pandey – Vice President – Meerut Development Authority, by giving affidavit, is guilty of giving wrong information to the tribunal and hiding the correct information regarding the Public Park of Magantpuram Colony-Block-D, Gopal Gaushala.

Prayer

1. The names of all the persons who have done illegal construction by encroaching the public park of Jagannathpuri Colony should be written in the written order so that in future all these persons and their relatives cannot occupy the public park of Jagannathpuri Colony again. The names of all the persons are written below.

1st	Ajay Sehgal alias Sonu Sehgal S/o Late Nand Kishore Sehgal	R/o Gali No.-9, Sai Puram, Delhi Road, Meerut - U.P.
2nd	Renu Gupta W/o Shiv Kumar Gupta	R/o Gali No.-3, Sai Puram, Delhi Road, Meerut U.P.
3rd	Rahul Chhawda and Varun Chawda S/o Laxman Das Chhawda	R/0-39/3-B, Umesh Bihar Colony, T.P. Nagar Meerut U.P.

2. The Public Park situated behind MagatPuram Colony-Block-D, Gopal Gaushala and the plotting done around it should be demolished and a public park and the road around it should be constructed. After constructing the public park and the road around it, the applicant should be asked to do a site inspection of the public park again.

3. Abhishek Pandey, Vice President - Meerut Development Authority should be fined Rs. 1 crore 20 lakh for continuously lying by giving affidavit in the tribunal and for taking action under the higher administration.

Dated : 07.05.2025

Chandra Shekhar Gupta
103 Street No - 3
SaiPuram, Delhi Road,
Meerut - 250002
Mail ID : gupta9566@gmail.com
Mob. No. 7906792648

P-5

Before The National Green Tribunal
Principal Bench, New Delhi
O.A. No. - 1096 / 2024

In The Mateer of :-

Chandra Shekhar Gupta Applicant

Verses

State of Uttar Pradesh & others Respondent

आदरणीय जज साहब,

Ist- जगन्नाथपुरी कालोनी, बहादुर मोटर के पीछे ट्रांसपोर्ट नगर, मेरठ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र संख्या - 96 है। जगन्नाथपुरी कालोनी का पब्लिक पार्क 3000 वर्ग मीटर का है। पब्लिक पार्क के चारो तरफ 30 फीट चौडी सडक है।

निम्नलिखित व्यक्तियो द्वारा जगन्नाथपुरी कालोनी के पब्लिक पार्क के अन्दर कब्जा करके बनाये अवैध निर्माण को मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है।

1. अजय सहगल उर्फ सोनु सहगल S/o स्वर्गीय नन्द किशोरसहग्ल
R/o - गली नं0- 9, सांईपुरम, दिल्ली रोड, मेरठ - उ० प्र०

2. रेनु गुप्ता W/o शिव कुमार गुप्ता
R/o - गली नं0-3, सांईपुरम, दिल्ली रोड, मेरठ - उ० प्र०

3. राहुल छाबडा व वरुण छाबडा पुत्रगण लक्ष्मण दास छाबडा
R/o - 39/3 - C, उमेश विहार कालोनी
टी० पी० नगर, मेरठ - उ० प्र०

P-6

II.d - मगंतपुरम कालोनी, ब्लाक-D, गोपाल गऊशाला के पीछे दिल्ली रोड, मेरठ-उ० प्र०, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र संख्या-146, दिनांक 2-5-1989 है।
मगंतपुरम कालोनी, ब्लाक-D, गोपाल गऊशाला के पीछे पब्लिक पार्क का साइज 75 x 110 वर्ग फीट है।
पब्लिक पार्क के चारो तरफ 24 वर्ग फीट चौडी सडक है।
ट्रिब्युनल द्वारा दिनांक 29 जनवरी 2025 को दिये आदेश में M.D.A को निर्देशित किया था कि प्रार्थी को पब्लिक पार्क का स्थलीय निरीक्षण कराये।
प्रार्थी द्वारा अभिषेक पाण्डे, उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण को दिनांक 7-2-2025 ओर दिनांक 28-2-2025 को रजिस्टर्ड पत्र भेजकर प्रार्थना की गयी कि पब्लिक पार्क का स्थलीय निरीक्षण कराये।
दिनांक 17-3-2025 को प्रार्थी को J.E - M.D.A द्वारा पब्लिक पार्क का स्थलीय निरीक्षण कराया गया। प्रार्थी ने देखा कि पब्लिक पार्क व पब्लिक पार्क के चारो तरफ की सडक पर प्लांटींग कर दी गयी है प्रार्थी को उस जगह का फोटो भी नही लेने दिया गया।
अभिषेक पाण्डे, उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा शपथ पत्र देकर ट्रिब्युनल में झुठ बोला ओर किसी दुसरे पब्लिक पार्क की फोटो ट्रिब्युनल में दी।
दिनांक 18-3-2025 को प्रार्थी द्वारा अभिषेक पाण्डे, उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण को रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा पत्र भेजा कि आप बिल्डर से रुपये लेकर ट्रिब्युनल व प्रार्थी को बहका रहे है।

प्रार्थी द्वारा दिनांक 18-3-2025 को V.C-M.D.A को भेजा पत्र दिनांक 19-3-2025 को मिल गया तो दोबारा J.E-M.D.A का फोन आया कि आप एक बार और पब्लिक पार्क का स्थलीय निरीक्षण कर ले। प्रार्थी द्वारा कहा गया कि दो दिन में कैसे पब्लिक पार्क और पार्क के चारो तरफ की सडक बन गयी प्रार्थी द्वारा दोबारा स्थलीय निरीक्षण के लिए मना कर दिया।
प्रार्थी द्वारा दोबारा स्थलीय निरीक्षण को मना करने पर प्रार्थी की फेक्ट्री पर रात 10 बजे पुलिस वालो को भेजकर डराया धमकाया गया। प्रार्थी द्वारा D.G.P-U.P के C.U.G नम्बर पर शिकायत करते ही पुलिस वाले फेक्ट्री के गेट से भाग गयें। S.S.P-मेरठ से भी शिकायत की गयी अभिषेक पाण्डे-उपाध्यक्ष-मेरठ विकास प्राधिकरण और उनके अधिकारी प्रार्थी को डरा धमकाकर यह लिखवाना चाहते है कि मगंतपुरम कालोनी, ब्लाक-D गौपाल गौशाला कें पीछे पब्लिक पार्क व पार्क कें चारो तरफ सडक मौजुद है। इस साजिश षडयंत्र में बिल्डर व V.C-M.D.A शामिल है।

निष्कर्ष

अभिषेक पाण्डे-उपाध्यक्ष-मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा शपथ पत्र देकर मगंतपुरम कालोनी-ब्लाक-D, गौपाल गऊशाला के पब्लिक पार्क पर ट्रिब्युनल को गलत जानकारी देने और सही जानकारी छिपाने कें दोषी है।

P-8

प्रार्थना

1. जगन्नाथपुरी कालोनी के पब्लिक पार्क पर कब्जा करके अवैध निर्माण करने वाले सभी व्यक्तियों के नाम पते आदेश में लिखे जाये ताकि भविष्य में ये सभी व्यक्ति और इनके रिश्तेदार जगन्नाथपुरी कालोनी के पब्लिक पार्क पर दोबारा कब्जा न कर सके। सभी व्यक्तियो के नाम नीचे लिखे है।

Ist अजय सहगल उर्फ सोनु सहगल S/O स्वर्गीय नन्द किशोर सहगल
R/O गली नं०-9, सांईपुरम, दिल्ली रोड, मेरठ - उ० प्र०

IInd रैनु गुप्ता W/O शिव कुमार गुप्ता
R/O - गली नं०-3, सांईपुरम, दिल्ली रोड, मेरठ-उ०प्र

IIIrd राहुल छाबड़ा व वरुण छाबड़ा पुत्र लक्ष्मण दास छाबड़ा
R/O - 39/3-C, उमेश विहार, कालोनी, टी० पी० नगर मेरठ - उ० प्र०

2. मंगतपुरम कालोनी - ब्लाक-D, गोपाल गऊशाला के पीछे स्थित पब्लिक पार्क व पार्क के चारो तरफ की गयी प्लाटींग को ध्वस्त कराकर पब्लिक पार्क व पार्क के चारो तरफ की सडक का निर्माण कराया जायें और पब्लिक पार्क व पार्क के चारो तरफ सडक बनाकर प्रार्थी को दोबारा पब्लिक पार्क का स्थलीय निरीक्षण कराया जायें।

3. अभिषेक पाण्डे - उपाध्यक्ष - मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रिब्युनल मे शपथ पत्र देकर लगातार झुठ बोलने के जुर्म में उ० प्र शासन से कार्यवाही कराने व एक करोड बीस लाख का जुर्माना लगाया जाये।

प्रार्थी
चन्द्र शेखर गुप्ता
103, गली नं०-3
सांईपुरम, दिल्ली रोड, मेरठ

C.S. Gupta

P-9

Speed Post

To,
अभिषेक पाण्डे
उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ - उ० प्र०

श्रीमान जी दिनांक 29-1-2025 को नैशनल ग्रीन ट्रिब्युनल प्रिंसीपल बैन्च, नई दिल्ली द्वारा वाद संख्या - 1096/2024 चन्द्र शेखर गुप्ता बनाम उ० प्र० सरकार आदि मे ट्रिब्युनल द्वारा आदेश पारित किया गया है कि मगंतपुरम कालोनी - ब्लाक - D, के पब्लिक पार्क का स्थलीय निरीक्षण प्रार्थी चन्द्र शेखर गुप्ता को कराया जाये।

मेरठ विकास प्राधिकरण के वकील द्वारा ट्रिब्युनल मे शपथ पत्र के साथ लिखकर दिया गया है कि मगंतपुरम ब्लाक - D के पब्लिक पार्क पर कब्जा नही है और साथ मे पब्लिक पार्क के फोटोग्राफ भी लगाये गये है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि जल्द से जल्द मगंतपुरम ब्लाक - D कालोनी के पब्लिक पार्क का स्थलीय निरीक्षण प्रार्थी चन्द्र शेखर गुप्ता को कराने की कृपा करें। और प्रार्थी को फोन द्वारा व लिखित मे सुचित करें।

प्रार्थी

दिनांक - 7-2-2025

चन्द्र शेखर गुप्ता
103, गली नं० - 3
सांई पुरम, दिल्ली रोड
मेरठ - उ० प्र०
M. No. 7906792648

C.S. [signature]

Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Sa...

भारतीय डाक
India Post

EU579863128IN IVR:6985579863128
SP MEERUT KUTCHERY SO (250003)
Counter No:1,10/02/2025,12:12
To:ABHISHEK PANDEY UPADHYAX ,MDA
PIN:250003, Meerut Kutchery SO
From:C S GUPTA ,.
Wt:20gms
Amt:17.70,Tax:2.70,Amt.Paid:18.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

To, अभिषेक पाण्डे P-10 Speed Post
उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ - उ० प्र०

श्री मान जी दिनांक 29-1-2025 को नैशनल ग्रीन ट्रिब्युनल प्रिंसीपल बैन्च, नई दिल्ली द्वारा वाद संख्या- 1096/2024 चन्द्र शेखर गुप्ता बनाम उ० प्र० सरकार आदि में ट्रिब्युनल द्वारा आदेश पारित किया गया है कि मगंतपुरम कालोनी - ब्लाक - D, के पब्लिक पार्क का स्थलीय निरीक्षण प्रार्थी चन्द्र शेखर गुप्ता को कराया जाये।

मेरठ विकास प्राधिकरण के वकील द्वारा ट्रिब्युनल मे शपथ पत्र के साथ लिखकर दिया गया है कि मगंतपुरम ब्लाक - D कालोनी के पब्लिक पार्क पर कब्जा नहीं है। ओर साथ में हरे भरे पब्लिक पार्क के फोटोग्राफ भी लगाये गये है। लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ लिखना पड़ रहा है कि 30 दिन बीतने के बाद भी पब्लिक पार्क का स्थलीय निरीक्षण नहीं कराया गया है।

अतः आपसे पुनः दोबारा प्रार्थना है कि जल्द से जल्द मगंतपुरम - ब्लाक - D कालोनी के पब्लिक पार्क का स्थलीय निरीक्षण प्रार्थी चन्द्र शेखर गुप्ता को कराने की कृपा करे ओर प्रार्थी को फोन द्वारा व लिखित मे सुचित करे।

प्रार्थी

दिनांक - 28 - 2 - 2025

चन्द्र शेखर गुप्ता
103, गली नं० 3
सांईपुरम, दिल्ली रोड
मेरठ - उ० प्र०
M.No. 7906792648.

EU560721573IN IVR:6985560721573
SP BUDHANA GATE SO <250002>
Counter No:1,28/02/2025,10:59
To:SH ABHISHEK P,UPADHYAKSH/M.V.P
PIN:250003, Meerut Kutchery SO
From:C.S. GUPTA,MEERU KUAN MEERUT
Wt:10gms
Amt:17.70,Tax:2.70,Amt.Paid:18.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868><Wear mask -Stay safe>

भारतीय डाक
India Post

173

P-11 Speed Post

To.
अभिषेक पाण्डे, उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

श्रीमान जी, भगतपुरम कालोनी, ब्लाक-D के पब्लिक पार्क का साइज- 75 x 110 वर्ग फीट है। पब्लिक पार्क के चारो तरफ 24 फीट चौडी सडक है। वाद सख्या- 1096/2024

श्रीमान दिनांक 17-3-2025 को M.D.A कर्मचारी द्वारा प्रार्थी चन्द्र शेखर गुप्ता को पब्लिक पार्क का स्थलीय निरीक्षण कराया गया। प्रार्थी द्वारा देखा गया कि पब्लिक पार्क व पब्लिक पार्क के चारो तरफ सडक की जगह पर प्लाटींग कर दी गयी है। प्रार्थी को उस जगह का फोटो भी नही लेने दिया गया। इससे पहले ट्रिब्युनल में दुसरे पब्लिक पार्क का फोटो दिया गया है उपाध्यक्ष महोदय, आप लगातार ट्रिब्युनल व प्रार्थी को बहका रहे हैं और पब्लिक पार्क व पब्लिक पार्क के चारो तरफ की सडक पर प्लाटींग करने वाले व्यक्ति से मिले हुए है। आपसे पुनः तिसरी बार प्रार्थना है कि पब्लिक पार्क साइज 75 x 110 वर्ग फीट व इसके चारो तरफ की सडक साइज 24 फीट को कब्जा मुक्त कराये और प्रार्थी चन्द्र शेखर गुप्ता को दोबारा स्थलीय निरीक्षण कराये।

दिनांक- 18-3-2025

प्रार्थी
चन्द्र शेखर गुप्ता
103, गली नं० 3
सांई पुरम, दिल्ली रोड
मेरठ- उ० प्र०
M.No-7302538639

C.S. Gupta

EU540166673IN IVR:6985540166673
SP BUDHANA GATE SO <250002>
Counter No:1,18/03/2025,13:31
To:ABHISHEK PAND,UPADHYAKASH/MSP
PIN:250003, Meerut Kutchery SO
From:C.S. GUPTA,SAI PURAM MEERUT
Wt:10gms
Amt:17.70,Tax:2.70,Amt.Paid:18.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>